राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2119/2023

चंद्रकांत जांगिड **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (मुख्यालय), जयपुर।
4. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, Jodla Ki Dhani, Cheethwari, गोविन्दगढ़, चौमू, जयपुर।
5. अजय पाल सिंह, अध्यापक तृतीय ग्रेड लेवल 2 (अंग्रेजी), महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, Jodla Ki Dhani, Cheethwari, गोविन्दगढ़, चौमू, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 16.08.2023
आदेश की दिनांक : 17.08.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री प्रदीप माथुर, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 08.08.2023 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल द्वितीय के पद पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, Jodla Ki Dhani, Cheethwari, गोविन्दगढ़, चौमू, जयपुर में निरंतर कार्य करने का आदेश फरमाया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल द्वितीय के पद पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, Jodla Ki Dhani, Cheethwari, गोविन्दगढ़, चौमू, जयपुर में कार्यरत है और निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 को अपीलार्थी के स्थान पर समंजित करने के आशय से निजी

प्रत्यर्थी संख्या 5 को उक्त विद्यालय में पदस्थापित किया गया है। जबकि अपीलार्थी का स्थानान्तरण नहीं किया गया है। उनका कथन है कि उक्त विद्यालय में अपीलार्थी को साक्षात्कार आधार पर आदेश दिनांक 18.07.2022 के द्वारा चयन किया गया था। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 23.07.2023 जिसमें सहायक अध्यापक लेवल प्रथम व द्वितीय संविदा भर्ती 2023 के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की संविदा शर्तों पर नियुक्ति एवं पदस्थापन के संबंध में जारी किया गया, जिसमें आदेश दिनांक 19.11.2022 के आधार पर राजस्थान संविदा अध्यापक भर्ती, 2023 में चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन केवल रिक्त पदों पर ही होगा और आदेश दिनांक 08.08.2023 के द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 को अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किए जाने से अपीलार्थी को बिना स्थानान्तरण आदेश के हटा दिया गया है, जो विधि के विरूद्ध है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा धर्मपाल व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य 2005(2) डब्ल्यू.एल.सी. 437 दिनांक 23.11.2004 एवं अजय कुमार शर्मा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य डब्ल्यू.एल.सी. 2003(1) 438 में ऐसे आदेशों को अनुचित माना है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 08.08.2023 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल द्वितीय के पद पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, Jodla Ki Dhani, Cheethwari, गोविन्दगढ़, चौमू, जयपुर में निरंतर कार्य करने का आदेश फरमाया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत न करते हुए मौखिक रूप से बहस की है कि अपीलार्थी के संबंध में कोई स्थानान्तरण आदेश जारी नहीं किया गया है और कार्यालय निदेशक के आदेश दिनांक 29.07.2023 के बिंदु संख्या 1 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि आगामी आदेशों तक अधिशेष होने पर कार्यमुक्त नहीं किया जाए, इस हेतु पृथक से दिशा–निर्देश जारी किए जाऐंगे। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील आधारहीन है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल द्वितीय के पद पर महात्मा गांधी

राजकीय विद्यालय, Jodla Ki Dhani, Cheethwari, गोविन्दगढ़, चौमू, जयपुर में कार्यरत है और आलोच्य आदेश दिनांक 08.08.2023 के द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 श्री अजय पाल सिंह अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल द्वितीय (अंग्रेजी) के पद पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, Jodla Ki Dhani, Cheethwari, गोविन्दगढ़, चौमू, जयपुर पदस्थापित किया गया है। जबकि अपीलार्थी के स्थानान्तरण/पदस्थापन के संबंध में ऐसा कोई नवीन आदेश जारी नहीं किया गया है, जहां तक आलोच्य आदेश दिनांक 08.08.2023 को अपास्त किए जाने का प्रश्न है, हमारे मत में उक्त आलोच्य आदेश अपीलार्थी के संबंध में जारी नहीं किया गया है और उक्त आदेश के द्वारा न ही अपीलार्थी का स्थानान्तरण/नवीन पदस्थापन किया गया है। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा के आदेश दिनांक 29.07.2023 जो *''संविदा शिक्षकों के कार्यग्रहण से विद्यालय में पूर्व से कार्यरत शिक्षकों के समायोजन के संबंध में जारी किया गया है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि संविदा भर्ती 2023 प्रक्रिया के तहत पदस्थापन से उन विद्यालयों में अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल प्रथम/द्वितीय जो साक्षात्कार के माध्यम से पहले से कार्यरत हैं, संविदा कार्मिक द्वारा कार्यग्रहण किए जाने पर संबंधित विषय (जो भी लागू हो), अधिशेष होने पर उन्हें आगामी आदेशों तक कार्यमुक्त नहीं किया जाए। इस हेतु पृथक से दिशा–निर्देश जारी किए जाऐंगे और लेवल प्रथम व द्वितीय पद के विरूद्ध कार्यरत मानते हुए आगामी आदेशों तक उसी विद्यालय में शिक्षण का कार्य करवाया जावे।''* इससे यह स्पष्ट होता है कि विभाग द्वारा वर्तमान में ऐसा कोई आदेश पदस्थापन के संबंध में जारी नहीं किया गया है और न ही अपीलार्थी के संबंध में कोई नवीन आदेश पदस्थापन हेतु जारी किया गया है। अतः अपीलार्थी के इस तर्क में कोई बल प्रकट न होने के कारण अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य